

संख्या 8112 / फांकासि०वि.
दिनांक 24/12/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।

पत्रांक-जी-1600/आई०बी०/अन्तरण/अनु०-94/पूजीलेखा

लखनऊ दिनांक 24 दिसम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2022/ए-2-06/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 08-01-2022 के क्रम में संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ०प्र०शासन के पत्र संख्या-100/22-27-सिं-65एसएवी/21, दिनांक 07-02-2022 द्वारा सी०सी०एल० प्रणाली को समाप्त कर कोषागार प्रणाली लागू किये जाने एवं शासन के पत्र संख्या-2259/23-27-सिं०-9-38एसएवी/22 दिनांक 06.11.23 के बिन्दु संख्या-02(क) एवं 02(ख) द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा बजट आवंटन एवं आनलाईन फीडिंग/अन्तरण हेतु धन की मांग के क्रम में सम्बन्धित खण्ड को निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार व्यय हेतु सर्वर पर आनलाईन फीडिंग/ अन्तरण हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

मु०अभि(नलकूप-दक्षिण) कानपुर।						(आकड़े लाख रु० में)			
क्र० सं०	परियोजना का नाम	लेखा शीर्षक	शासकीय पत्र का संदर्भ	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का संदर्भ	खण्ड का नाम/आहरण एवं वितरण अधि० एवं डी० डी० ओ० कोड	कोषागार/जनपद	धनराशि	पि.सि.मा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	जनपद-जालौन के विकास खण्ड-इकोर में स्थित अमरौर पम्प नहर की क्षमतावृद्धि (2.5 क्यू० से 10 क्यू०) की परियोजना।	94-4702-101-03-0301-24	161/2024/2884/24-004-27-10002(002)/3/2023-10, दिनांक-04-12-2024	मुख्य अभियन्ता (नलकूप-दक्षिण) कानपुर के पत्रांक-3800/मु०अभि०न०द०दि०नांक-20-12-2024	डाल नहर खण्ड, झांसी। 4816	झांसी	53.95		
कुल योग: 0301							53.95		

(रु० तिरपन लाख पिन्धानबे हजार मात्र)

अखिलेश कुमार
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

पत्रांक-जी-1600/(1)/आई०बी०/तद्विनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 40- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 41- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 42- संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 43- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 पूर्वी क्षेत्र सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 44- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 45- मुख्य अभियन्ता (नलकूप-दक्षिण) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, कानपुर।
- 46- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि मुख्य अभि०(नलकूप-दक्षिण) के पत्रांक के क्रम में, उक्तानुसार तालिका के अनुरूप अन्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 47- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभि० सि० वि० उ०प्र० लखनऊ।
- 48- अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर-केन्द्र) सि० एवं जल सं० विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- 49- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सि० एवं जल सं० विभाग, उ०प्र०।
- 50- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सि० एवं जल सं० विभाग, उ०प्र०।
- 51- स्टाफ अधिकारी (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 52- कट फाईल हेतु।

Rakul
(राकेश यादव)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

श्रीमती आशा, 05-3

(Handwritten signature)

Stee 24/12/24

RPS
23/12/24
23/12/24